अनुदान संख्या 6 – रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
GRANT No. 6–DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	220,36,00	386,43,00	378,94,51	–7,48,49
पूरक	Supplementary	166,07,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7,33,23
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		55,25,00	55,06,00	–19,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				19,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1340.00	1097.41	1084.66	–12.75
पु.	R.	–242.59			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	2398.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–2398.00			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	18298.00			
पू.	S.	16607.00	36812.36	36809.85	–2.51
पु.	R.	1907.36			

(I) 2398.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''पेट्रो-रसायन उद्योग - (अन्य व्यय) - असम गैस क्रेकर परिसर को सहायता'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.2398.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" – "Petrochemicals Industries – (Other Expenditure) – Subsidy to Assam Gas Cracker Complex" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग'' के अंतर्गत 255.34 लाख रु. की बचत (1340.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों का अंतरण भेषज विभाग को किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat - Department of Chemical and Petrochemicals" – saving of Rs.255.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1340.00 lakhs) was due to transfer of posts to Department of Pharmaceuticals and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''रसायन और भेषज उद्योग - रसायन और कीटनाशक'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2852" –"Chemicals and Pharmaceuticals Industries – Chemicals and Pesticides" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985'' - 206.35 लाख रु. की बचत (562.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लंबित होने की वजह से प्रतिनियुक्ति पर न्यायिक अधिकारियों को वेतन के बकाया की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of claims) Act, 1985" – saving of Rs.206.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.562.00 lakhs) was due to non–payment of salary arrears to Judicial Officers on deputation pending decision by Hon'ble Supreme Court.

(खा) ''कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान'' - 193.91 लाख रु. की बचत (940.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं

(B) "Grant to Institute of Pesticides Formulation Technology" – saving of Rs.193.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.940.00 lakhs) was due to delay in

पूरी न किए जाने की वजह से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2852" - 'पेट्रो-रसायन उद्योग - अन्य व्यय - असम गैस क्रेकर परिसर को आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 2397.00 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 16607.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 29234.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

implementation of the projects owing to non-completion of procedural formalities.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2852" – "Petrochemical Industries – Other Expenditure - Subsidy to Assam Gas Cracker Complex" – excess of Rs.2397.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.29234.00 lakhs including supplementary grant of Rs.16607.00 lakhs obtained in December, 2009) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.